

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

3223/2016

बिहार BIHAR

Serial No. 3122

सं. 30850 19-02-16 मूल्य सीट नं. 5000

A 516340

क्रेता का नाम एवं पता

हरविन्दर पाल सिंह मुद्रांक प्रिकेता
District Registrar Office Patna
सम्वत् 2075 सम्वत् 2075 पटना
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 29/02/2016 by Ravindra Kumar Singh. A Stamp Duty of Rs. 86000/- and other Fees of Rs. 26525/- has been paid in it. The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page. The document has been registered as Deed No. 2874 in Book No. 1, Volume No. 68 on pages from 339 358 and has been preserved in total 20 pages in C.D. No. 10 / Year 2016.

Date: 29/02/2016

Token No. 3223/2016

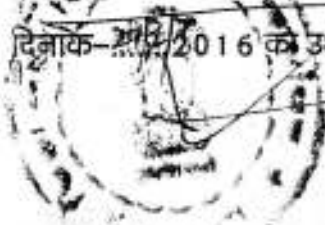
Signature with Date
(Prashant Kumar)
Registering Officer, Patna

विकास कार्य एकरारनामा

(Development Agreement)

यह विकास कार्य एकरारनामा नीचे वर्णित भूखंड पर भूकम्परोधी बहुमंजिली इमारत बनाने हेतु/ विकास कार्य आदि के लिए आज दिनांक 29/02/2016 को उभय पक्ष निम्नलिखित शर्तों पर सहमत हुए।

रविन्द्र कुमार सिंह
प्राप्त किया



Signature with Date
(Prashant Kumar)
Registering Officer, Patna
29/02/16
PARTNER

District Registry Office, Patna

Token Number 3223

Reg. Year 2016

Serial Number 3122

Deed Number 2874

PresType

Name

Photo

Thumb

Index

Middle

Ring

Little

Claimant

Bhanu Kumar

Sig.

Bhanu Kumar
29/2/16



Presented By

Ravindra Kumar Singh

Sig.

Ravindra Kumar Singh
29/02/2016



Executant

Ravindra Kumar Singh

Sig.

Ravindra Kumar Singh
29/02/2016



Executant

Shilpi Singh

Sig.

Shilpi Singh
29/02/16



Executant

Susheela Singh

Sig.

Susheela Singh
29/2/2016



Identified By

Raushan Kumar

Sig.

Raushan Kumar
29/2/16



Powered by InfoSystem and Solutions, Patna

Biometric Captured By 2800sop009

1. नाम भूस्वामी (लेख्यकारीगण):-

(क) श्री रविन्द्र कुमार सिंह पिता स्व० सूर्यदेव सिंह,

(ख) श्रीमती सुशीला सिंह, पति का नाम श्री कविन्द्र कुमार सिंह,
दोनों निवासी महल्ला- सूर्यलोक, नेऊरा रोड, खगौल, पोस्ट
वो थाना- खगौल, जिला- पटना, पिन-801105, भारतीय
नागरिक।

(ग) श्रीमती शिल्पी सिंह, पति का नाम श्री बृज किशोर
सिंह, निवासी महल्ला- माँ महेश्वरी निवास, गौतम बुद्ध
नगर, गोढ़ना रोड, अनाईठ, आरा, पोस्ट- अनाईठ, थाना-
नवादा, जिला- भोजपुर, पिन-802301, भारतीय नागरिक।

.....(प्रथम पक्ष) “भूखण्ड स्वामी” से अभिप्राय
उन सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है, जिनका
सम्बन्ध भूखण्ड में निहित प्रतिनिधित वारिसान सदस्य
प्राधिकृत एजेंट /उत्तराधिकारीगण एवं प्रशासकीय प्रतिनिधि
सम्मिलित है।

2. नाम बिल्डर (लेख्यकारीगण):- मेसर्स रुद्राक्ष
इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टनरशीप फार्म निर्मित इंडियन पार्टनरशीप
एक्ट 1932 के अन्तर्गत पंजीकृत है, जो दिनांक
24.02.2016 को वसीका सं० 170, बुक सं० 4, जिल्द
सं० 5, पेज सं० 76 से 89 तक के अन्तर्गत पटना
रजिस्ट्री आफिस में निबंधित है, द्वारा प्रबन्ध पार्टनर श्री
भानु कुमार वल्द स्व० पारसनाथ पाण्डेय, जिसका रजिस्टर्ड
ऑफिस- रोड नं०-1ई, मकान नं०-106एफ, न्यू पाटलीपुत्रा
कॉलोनी, पटना-800013, भारतीय नागरिक। “विकासकर्ता”



Shilpi Singh
29/2/16

Suresh Singh
29/2/16

Rudraksha
29/2/16

M/s RUDRAKSHA INFRASTRUCTURE
Kumar
29/2/16

(द्वितीय पक्ष) यहाँ "विकासकर्ता" द्वितीय पक्ष से अभिप्राय यह है कि उनके उत्तराधिकारी, कार्यालय उत्तराधिकारी एवं प्राधिकृत एजेन्ट एवं वयनित उत्तराधिकारी से है, जिनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय पक्ष विकासकर्ता से है, सम्मिलित किया जाता है।

Shikhi Singh

29/2/15

3. किस्म वसीका (लेख्य प्रकार):- विकास कार्य
एकराखामा (Deed of Agreement for Development)

Sushree Singh

29/2/16

4. मूल्यांकन :-

XXXXXX भूमि का सरकारी मूल्य = ₹ 42,99,000/-

5. डेवलपमेन्ट सम्पत्ति का विवरण:- मवाजी 5.29 कट्ठा (पाँच दशमलव दो नौ कट्ठा) यानि 7200 वर्गफीट, एराजी हकियत कास्त रैयती कायमी नगदी आवासीय परती भूमि सम्पत्ति अवस्थित वाके मौजा-लखनी बिगहा, परगना- फुलवारी शरीफ, सर्वे थाना- फुलवारी शरीफ, हाल थाना- दानापुर, सब रजिस्ट्री ऑफिस दानापुर सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- पटना जिसका थाना संख्या- 41 (एकतालीस), मुल्यांकन कोड- 162, तौजी- 5225 (पांच हजार दो सौ पच्चीस), खाता संख्या- 121 (एक सौ एकवीस), खेसरा सर्वे प्लॉट संख्या- 1785 (एक हजार सात सौ पचासी) का अंश, जोन-02, जिसका सालाना लगभग 2000 रुपया अलावे शेष बजमिंदारी

Shikhi Singh

29/2/16

M/s KUDAKSHA INFRASTRUCTURE

Kumar

29/2/16



बिहार सरकार बजटिये अंचलाधिकारी अंचल कार्यालय
दानापुर को देय है। सम्पत्ति दानापुर नगर परिषद् क्षेत्र
के अन्दर है, जिसका चौहद्दी हस्व जैल है:-

चौहद्दी

उत्तर	-	सहायक सड़क
दक्षिण	-	श्री राजेन्द्र कुमार सिंह
पूरब	-	सहायक सड़क
पश्चिम	-	सहायक सड़क

Shri Singh

29/2/16

लेख्य-संदर्भ

विदित हो कि खाने नं0-5 में वर्णित एराजी लेख्यकारीगण
(प्रथम पक्ष) की खास खरीदारी सम्पत्ति है, जिसे प्रथम पक्ष
ने अलग-अलग वैय वसीका के माध्यम से खास खरीद
किये हैं। यह कि अन्दर प्लॉट नं0- 1785 प्रथम पक्षगण
खरीद किये हैं, जिसमें लेख्यकारी नं0-1 का वैय वसीका
नं0-6862, जिल्द नं0- 138, पेज नं0- 100 से 111
तक, बुक नं0-1, सी0डी0-22, टोकन नं0-
7043/2015, दिनांक- 29.06.2015 निबंधन कार्यालय
दानापुर के माध्यम द्वारा से वनाम लेख्यकारी नं0-1 ने
वसीका में कुल मवाजी 8.5766 डिसमिल (3736 वर्गफीट)
खरीद किये हैं, एवं लेख्यकारिणी नं0-2 का वैय वसीका
नं0-6863, जिल्द नं0 138, पेज नं0- 112 से 12

Sushodh Singh

29/2/16

29/2/16

M/S RUDEAKSHA INFRASTRUCTURE

Rudraksha

29/2/16



तक, बुक नं०-1, सी०डी०-22, टेकन नं०-7044/2015, दिनांक- 29.06.2015, निबंधन कार्यालय दानापुर के माध्यम द्वारा वनाम लेख्यकारिणी नं०-2 ने वसीका में कुल मवाजी 3.9761 डिसमिल (1732 वर्गफीट) खरीद की हैं एवं लेख्यकारिणी नं०-3 का वैय वसीका नं०-6864, जिल्द नं०- 138, पेज नं०- 124 से 135 तक, बुक नं०-1, सी०डी०-22, टेकन नं०-7045/2015, दिनांक- 29.06.2015 निबंधन कार्यालय दानापुर के माध्यम द्वारा वनाम लेख्यकारिणी नं०-3 ने वसीका में कुल मवाजी 3.9761 डिसमिल (1732 वर्गफीट) खरीद की हैं, सभी वसीका को नविस्ते श्रीमती हीरामणी देवी उर्फ हीरामणी गुप्ता पति श्री ओम प्रकाश कुमार, निवास स्थान- मीठापुर बी०एरिया, थाना- जक्कनपुर, पारट- जी०पी०ओ०, जिला- पटना से खरीद किये हैं।

यह कि श्रीमती हीरामणी देवी उर्फ हीरामणी गुप्ता पति श्री ओम प्रकाश कुमार की खरीदारी सम्पत्ति है जिसका पहला वैय वसीका सं० 8536, जिल्द सं० 33, पेज सं० 575 से 582 तक बुक सं० 1, दिनांक 27.11.1992 एवं दूसरा वैय वसीका सं० 7841, जिल्द सं० 33, पेज सं० 69 से 76 तक बुक सं० 1, दिनांक 21.10.1992 दोनों का निबंधन कार्यालय दानापुर के माध्यम द्वारा खरीद की थी।



Shilpi Singh
29/2/16

Sheheru Singh
29/2/16

Shilpi Singh
29/2/16

M/s BIDRAKSHA INFRASTRUCTURE
Ramu Kumar
29/2/16

बादहु खरीदारी तारीख से उक्त खरीदार एराजी पर प्रथम पक्षगण काबिज दाखिल होकर मालिक मुस्तकिल बनकर वो रहकर उससे उत्पत्ति आय का उपयोग वो उपभोग मौजूदा वक्त तक शांतिपूर्वक करते चले आ रहे है वो लेख्य सम्पत्ति का मालगुजारी रसीद साल व साल अपने-अपने नाम से अदाय वो वसुल करते चले आ रहे है, जिसका जमाबंदी नं०- क्रमशः 1. 2748, 2. 2746, एवं 3. 2747 सभी सन् 2015-16 है। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति को विकास कार्य एकराखनामा हेतु बनाने का खास हक प्रथम पक्षगण को प्रमाणित होता है।

यह कि भू-स्वामीगण अपने-अपने तनमन की स्वास्थावस्था में व स्वतंत्रता से बगैर किसी बाहरी दबाव, प्रभाव, प्रलोभन, बहकाव के अपने-अपने संबंधियों, एवं कानूनी सलाहकारों से राय परामर्श लेकर तथा अपना-अपना हानि लाभ को भली-भांति समझ बुझकर अपने-अपने खुशी खाहिश से अपने-अपने उक्त खाने नं०-5 की सम्पत्ति को 50% (पचास प्रतिशत) निर्मित भाग फ्लैट और पार्किंग स्थल पर बिल्डर मेसर्स रुद्राक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर को देना स्वीकार किया वो इस एग्रीमेन्ट का एकरार कर निष्पादन कर दिया जिसके निम्नलिखित शर्त है:-

1. यह कि बिल्डर खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति पर भूकम्परोधी अपार्टमेन्ट का निर्माण कर कुल निर्मित बिल्कुल कम्पलीट निर्माण कर सम्पत्ति का 50% (पचास प्रतिशत) भू-स्वामी को देवेगी जिसका शेयर क्रमशः इस प्रकार है



Shilpi Singh

29/2/16

Sushaada Singh

29/2/16

Arjun Kumar

29/2/16

M/s RUDBAKSHA INFRASTRUCTURE

Arjun Kumar

29/2/16

क. श्री रविन्द्र कुमार सिंह 50% (पचास प्रतिशत) ख. श्रीमती सुशीला सिंह 25% (पच्चीस प्रतिशत) ग. श्रीमती शिल्पी सिंह 25% (पच्चीस प्रतिशत) देना तय हुआ है। तथा 50% (पचास प्रतिशत) विकासकर्ता अपने हिस्से में रख लेंगे। निर्माण की संपूर्ण खर्च वह सब कुछ बिल्डर वहन करेंगे।

2. यह कि दोनों पक्षों ने मिलकर यह तय किया है कि जिस दिन/तारीख को उक्त खाने नं०-5 में वर्णित भूखंड पर अपार्टमेन्ट का पी.आर.डी.ए/पटना नगर निगम से नक्शा पास होगा उस दिन से लगातार 42 महीना के अन्दर उक्त अपार्टमेन्ट भूकम्परोधी बिल्डिंग निर्माण, पूरा कर देंगे। अतः यह जरूरी होगा कि जल्द से जल्द उक्त खाने नं०-5 की सम्पत्ति का भूकम्परोधी अपार्टमेन्ट का नक्शा पास कराया जाये। इसके लिए दोनों पक्ष प्रतिबद्ध व कटिबद्ध है। इसके लिए दोनों पक्ष सक्रिय भूमिका निभायेंगे। जो भी जरूरी कागजात बिल्डर को नक्शा पास कराने के लिए जरूरी होगा भूस्वामी तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

3. यह कि नक्शा पास कराने के अथवा भूकम्परोधी अपार्टमेन्ट बनाने में जो खर्चा आयेगा वह सब कुछ बिल्डर वहन करेगा। बिल्डर अपना लागत खर्च से उक्त अपार्टमेन्ट का निर्माण करेगा और निर्मित क्षेत्र प्लॉट को 50% (पचास प्रतिशत) शेयर बिल्कुल कम्पलीट तैयार करके बिल्डर भूस्वामी को देंगे जिसका शेयर कमशः इस प्रकार है

Shilpi Singh

29/2/16

Sushobha Singh

29/2/16

Signature
29/2/16

M/s RUUDRAKSHA INFRASTRUCTURE

(Ravi Kumar)

29/2/16



क. श्री रविन्द्र कुमार सिंह 50% (पचास प्रतिशत)
 ख. श्रीमती सुशीला सिंह 25% (पच्चीस प्रतिशत) ग. श्रीमती
 शिल्पी सिंह 25% (पच्चीस प्रतिशत) देना तय हुआ है। यह
 हिस्सा अपार्टमेन्ट के सभी फ्लोर पर मिलेंगे।

4. यह कि भूस्वामी ने बिल्डर को पूरा विश्वास दिलाया
 है कि नक्शा पास कराने और अपार्टमेन्ट का निर्माण कराने
 के लिए जो भी कागजात जरूरी होगा बिल्डर को उपलब्ध
 करायेंगे और कागजात लिखना जैसा जनरल पावर ऑफ
 एटॉर्नी आदि ताकि बिल्डर निर्माण कार्य समय पर पूरा कर
 सके और मकसद में सफल हो सके। भूस्वामी इसके लिए
 सदा तैयार वो तत्पर रहेंगे।

5. यह कि भूस्वामी बिल्डर कम्पनी को पूरा विश्वास
 दिलाया है कि उनका उक्त खाता नं०-5 की सम्पत्ति सभी
 प्रकार के आगम दोष, ऋण भार, वारंटेन न नुक्स हकियत
 से बिल्कुल मुक्त पाक वो साफ है। वे इसका कानूनी
 उत्तराधिकारी, अधिकारी, दखलकारी वो निर्विवाद स्वामी है
 और भूस्वामी लगान, रसीद अपने नाम से कट चुके है।
 अब भूस्वामी बिल्डर को अपना भूखंड डेभलप कर
 भूकम्परोधी अपार्टमेन्ट बनाने के लिये दिये है। यह भूस्वामी
 का खरीदगी सम्पत्ति है। जिसके वो निर्विवाद स्वामी है और
 बिल्डर को अपार्टमेन्ट बनाने के लिये देने को कानूनी
 अधिकार है। अगर भविष्य में उक्त खाता नं०-5 की
 सम्पत्ति में किसी प्रकार के आगम दोष ऋण भार, वारंटेन

Shilpi Singh
29/2/16

Sushela Singh
29/2/16

Prakash Kumar
29/2/16

M/S MUDRAKSHA INFRASTRUCTURE
Prakash Kumar
29/2/16



अथवा नुक़्त हक़ियत पाया गया जिसके कारण उक्त सम्पत्ति का अपार्टमेन्ट निर्माण का नक्शा पास नहीं हो सकेगा अथवा निर्माण कानूनी जायज नहीं हो सकेगा अथवा लेन-देन हो तो वैसी सूत में बिल्डर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। वो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी भूस्वामी की होगी।

6. यह कि पी.आर.डी.ए/पटना नगर निगम से भूकम्परोधी अपार्टमेन्ट का नक्शा पास हो जाने की तारीख से 42 महीना के अन्दर बिल्डर उक्त अपार्टमेन्ट बनाने को तैयार हैं। उस मियाद के अंदर बिल्डर उक्त अपार्टमेन्ट का निर्माण पूरा कम्पलीट कर भूस्वामी को उनका उक्त शेयर सुपूर्द कर देंगे।

7. यह कि भूस्वामी बिल्डर को हर प्रकार का मदद करने का पूरा विश्वास दिलाते हैं ताकि इस मियाद के अन्दर उक्त अपार्टमेंट का निर्माण कार्य पूरा हो सके और इसी में दोनों पक्षों को फायदा है। भूस्वामी उक्त अपार्टमेंट निर्माण कार्य में किसी प्रकार का कानूनी अड़चन रुकावट नहीं आने देने का पूरा विश्वास दिलाया है।

8. यह कि बिल्डर उक्त अपार्टमेंट का निर्माण वाजप्ता पी.आर.डी.ए/पटना नगर निगम से नक्शा पास के आधार पर करें। पूरा निर्माण कार्य का क्षेत्रफल पी.आर.डी.ए/पटना नगर निगम के नियम के अनुसार ही तय होगा इसमें भूस्वामी को किसी प्रकार का दखल देहानी अथवा हस्तक्षेप नहीं

Satish Singh
29/2/16

Sushanta Singh
29/2/16

29/2/16

M/S. RUDRAKSHA INFRASTRUCTURE
29/2/16



होगा। जैसा नक्शा पास होगा वैसा अपार्टमेंट का निर्माण होगा। बिल्डर अपार्टमेंट निर्माण का नक्शा व प्लान भूस्वामी को दिखलायेंगे, उनका राय सहमति प्राप्त हो जायेगा तथा नक्शा पास कराने के लिए पी.आर.डी.ए/पटना नगर निगम को जमा की जायेगी। इस प्रकार नक्शा पास अपार्टमेंट का निर्माण में छोट-मोट संशोधन सुधार अथवा परिवर्तन दोनों पक्षों की सहमती से होगा।

9. यह कि भूस्वामी को उनका 50% (पचास प्रतिशत) भाग निर्मित अपार्टमेंट में देने के बाद जो भी निर्मित भाग 50% (पचास प्रतिशत) बचेगा वह सब पर बिल्डर का एकमात्र स्वत्व अधिकार होगा।

10. यह कि जो बिल्टअप एरिया इसके मालिक भूस्वामी को मिलेगा मालिक का शेयर होगा। उस पर उनका एकछत्र स्वामित्व, अधिकार व दखल कब्जा होगा। वे इसके निर्विवाद स्वामी होंगे और जैसे भी चाहेंगे अपने हिस्से की सम्पत्ति का उपभोग वे इस्तेमाल करेंगे अगर विक्रय, दान अथवा किसी प्रकार का हस्तान्तरण करना चाहेंगे तो किसी भी आदमी, आदमियों के संगठन, फर्म, संस्था, कॉरपोरेट, सहकारी संस्थान, सरकारी एजेंसी इत्यादि को कर सकेंगे। यह अपने हिस्से की सम्पत्ति का निर्विवाद स्वामी अधिकारी व दखलकारी है और अपने इच्छा शर्त के अनुसार जो भी करना चाहे कर सकेंगे। इससे बिल्डर को किसी प्रकार का विरोध या आपत्ति नहीं है जैसी होगी।



Satish Singh

29/2/16

Sushela Singh

29/2/16

(Signature)

29/2/16

M/S. KUBRAKSHA INFRASTRUCTURE

Kam Kamal

29/2/16

11. यह कि जो बिल्टअप एरिया बिल्डर का शेयर है उसे 'डेवलपर्स शेयर' माना जायेगा जिस पर बिल्डर का निर्विवाद स्वामित्व, अधिकार व दखल कब्जा होगा। बिल्डर अपने हिस्से की उक्त सम्पत्ति को जैसे भी चाहेंगे अपने उपभोग व इस्तेमाल में लावेंगे। विक्रय दान अथवा किसी प्रकार का बंदोबस्ती अथवा हस्तानान्तरण किसी भी स्वच्छ आदमी, आदमियों के संगठन, फर्म, संस्था, कॉरपोरेट का बंदोबस्ती कर सकेंगे जिस पर भूस्वामी मालिक का कोई आपत्ति, हस्तक्षेप अथवा दखल देहानि न होगा। अपने हिस्से की सम्पत्ति का निर्विवाद स्वामी बिल्डर पूर्णतः स्वतंत्र है जैसे भी चाहे उपभोग व इस्तेमाल में लावे अथवा अपने शर्त पर हस्तान्तरण करेंगे। इसमें भूस्वामी को कुछ भी लेना-देना नहीं होगा।

Sulpi Singh
29/2/16

Suresh Singh
29/2/16

(Signature)
29/2/16

12. यह कि अगर कोई व्यक्ति (खरीदार) प्रस्तावित इमारत में कोई प्लैट खरीदने के लिए किसी प्रकार का ऋण किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से लेता है तो उसकी अदायगी का पूर्ण जिम्मेदारी उस व्यक्ति (खरीदार) पर होगी तथा विकासकर्ता या भूस्वामी को उससे कोई सरोकर नहीं रहेगा। लेकिन उक्त खरीदार उक्त ऋण की अदायगी व प्रतिभूत के रूप में उक्त प्लैट को बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के पक्ष में बंधक कर सकते हैं।

M/S BUDHAKSHA INFRASTRUCTURE
Karnal
29/2/16

13. यह कि भूस्वामी ने इस एग्रीमेंट की तारीख से बिल्डर को यह पूरा हक अधिकार दिया कि निर्विरोध उक्त



12

खाने नं०-5 की सम्पत्ति पर काबिज दाखिल होकर अपार्टमेंट निर्माण का कार्य हेतु न्यायी जाखी, पीलरिंग, नक्शा प्लानिंग का निर्माण करें जिससे कि डेवलपमेंट कार्य पूरा हो सके।

Shibi Singh
29/2/16

14. यह कि बिल्डर उक्त खाने नं०-5 की सम्पत्ति का निर्माण डेवलपमेंट अपने नाम वो एकाउंट में करेंगे और पी.आर.डी.ए/पटना नगर निगम द्वारा नक्शा पास के आधार पर बिल्डिंग का निर्माण करेंगे। वो इसके निर्माण करने का एकमात्र अधिकारी होंगे जिससे भूस्वामी अथवा उसके उत्तराधिकारी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस निर्मित बिल्डिंग में जो उनका शेयर होगा, उसी पर उनका स्वामित्व, अधिकार व दखल कब्जा होगा।

Sushobha Singh
29/2/16

15. यह कि एग्रीमेन्ट की तारीख से बिल्डर को पूरा अधिकार होगा कि इस बिल्डिंग निर्माण के लिए सब कुछ अपने लागत खर्च से कर सकेंगे।

Shibi Singh
29/2/16

16. यह कि बिल्डर को पूरा अधिकार होगा कि उक्त बिल्डिंग अपार्टमेंट फ्लैट अथवा गैरेज अपने हिस्से को बिक्री करने के लिए किसी के साथ भी एग्रीमेन्ट करने के लिए स्वतंत्र है जिसमें भूस्वामी को कोई आपत्ति नहीं होगा।

17. यह कि इसी प्रकार भूस्वामी अपने हिस्से शेयर का मालिक एरिया या बिक्री या दान अथवा आवंटन या किसी प्रकार हस्तान्तरण करने के लिए किसी के साथ एग्रीमेन्ट

M/S RUDBAKSHA INFRASTRUCTURE
Ranoo Karmal
PARTNER
29/2/16



करने के लिए स्वतंत्र है जिसमें बिल्डर को कोई आपत्ति नहीं होगी।

18. यह कि बिल्डर द्वारा उक्त बिल्डींग निर्मित करने के बाद जब भूस्वामी को उनका हिस्सा शेयर का दखल कब्जा देंगे तो भूस्वामी बिल्डर को उक्त भूखंड का 50% (पचास प्रतिशत) शेयर का हस्तान्तरण वसीका बिल्डर अथवा उनके मनोनीत व्यक्ति या संस्था के नाम से रजिस्ट्री कर देंगे अगर भूस्वामी ऐसा करने से इनकार करेंगे अथवा टालमटोल करेंगे अथवा भाग जायेंगे तो बिल्डर अथवा उनके उत्तराधिकारी को पूरा हक व अधिकार होगा कि बजाप्ता कोर्ट में नालिश कर जबरिया रजिस्ट्री करवा लेंगे और भूस्वामी को हर हालत में रजिस्ट्री करनी पड़ेगी।

19. यह कि बिल्डर डेवलपर एवं भूस्वामी अगर चाहेंगे तो एक को-ओपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या एसोसियेशन बना लेंगे जिसमें उक्त बिल्डींग अपार्टमेन्ट के मालिकों का सदस्यता होगा। भूस्वामी व उनके मनोनीत व्यक्ति उक्त बिल्डर एवं भूस्वामी द्वारा निर्मित सोसाइटी अथवा संगठन का नियम अथवा उपनियम का पालन करना पड़ेगा और नियमित रूप से मेन्टेनेन्स चार्ज देना पड़ेगा।

20. यह कि बिल्डर डेवलपर के मनोनीत खरीदार या किरायादार उक्त बिल्डींग का डेवलपर एरिया की हक की सम्पत्ति का मालिक बनकर व रहकर अपना उपभोग व इस्तेमाल में लेंगे जो कि बिल्डर और भूस्वामी के बीच

Shilpi Singh
29/2/16

Susheela Singh
29/2/16

29/2/16

M/S BUDRAKSHA INFRASTRUCTURE
Kumar
29/2/16



स्टैण्डर्स एग्रीमेन्ट की अवस्था से गाईड होगा। इसी प्रकार भूस्वामी और उनके मनोनित व्यक्ति भूस्वामी शेयर की सम्पत्ति की अधिकारी रहकर अपना इस्तेमाल करेंगे जो उसी भूस्वामी और बिल्डर के बीच स्टैण्डर्स एग्रीमेन्ट से गाईड होगा।

Shilpi Singh
29/2/16

21. यह कि दोनों पक्षों ने तय किया है कि कॉमन एरिया उक्त बिल्डींग का उपभोग इस्तेमाल का अधिकार दोनों का समान होगा यह सबको सुविधा अधिकार प्राप्त होगा कि उक्त कॉमन एरिया का इस्तेमाल व उपभोग करें जो सबको समानशर्त नियम के अंदर करना होगा। कोई इस पर अपना एकाधिकार कायम नहीं करेंगे।

Susheela Singh
29/2/16

22. यह कि भवन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अगर किसी प्रकार का लेवी अथवा टैक्स उक्त सम्पत्ति पर पी.आर. डी.ए अथवा किसी अन्य सरकारी गैर सरकारी संस्थान द्वारा लगाया जायेगा तो उसका भुगतान दोनों पक्ष अपने-अपने अनुपात में करेंगे।

Vijay Kumar
29/2/16

23. यह कि टर्म भूस्वामी और बिल्डर/डेवलपर का अर्थ उनके उत्तराधिकारी, मनोनीत अधिकारी कानूनी होगा।

24. यह कि उक्त भवन में अच्छी सामग्री की गुणवत्ता की जाँच लेख्यकारीगण किसी भी समय कर सकते हैं और ठीक नहीं रहने पर बदलवा सकते हैं जिसके लिए बिल्डर सहमत है।

M/S BUDRAKSHA INFRASTRUCTURE
Rajwinder
29/2/16

25. यह कि निर्माण के समय किसी भी प्रकार का वाद-विवाद को निर्माता आपस में बैठकर करेंगे।



28. यह कि निर्माण कार्य के समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो सारी जवाबदेही विकासकर्ता/डेवलपर पर होगी, भूस्वामी पर नहीं।

29. यह कि बिल्डिंग का नाम "RUDRAKSHA'S श्री गणेश विहार" होगा।

30. यह कि इस एकरारनाम में निहित शर्तों के संबंधों में और इसके अलावे बिहार अपार्टमेन्ट ऑनरशिप एक्ट 2006 (Bihar Apartment Ownership Act 2006) यथा स्थान मान्य होंगे एवं दोनों पक्षों का स्वीकार होंगे।

गवाह:-

भूस्वामी का हस्ताक्षर

1. 2021/2016
29/2/16

1. 2021/2016
29/2/16

Sy. 2021/2016
गणेश विहार, खगौल

2. 2021/2016
29/2/16

2. 2021/2016
29/2/16

3. 2021/2016
बिल्डर का हस्ताक्षर

S/o Rabinendra K. Singh

SUNYA, Lok, Neora
Road Khagaul.

P.S - Khagaul.

P.O - Khagaul.

Dist - Patna

M/s RUDRAKSHA INFRASTRUCTURE
2021/2016
PARTNER

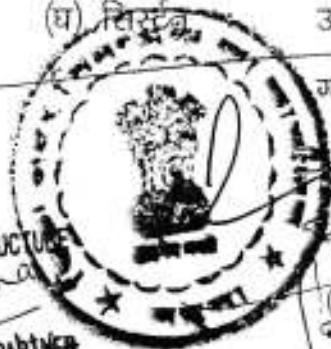


Drafted by

Advocate
29.02.2016

मानक विशिष्टियाँ

1. संरचना: संरचना विशेषज्ञ के निरूपण एवं विशिष्ट के अनुरूप सीमेंट मसाले में ईट चिनाई के साथ प्रचालित सीमेंट कंक्रीट संरचना।
2. दरवाजे: (क) कठोर लकड़ी/लौह एंजिम के चौखट।
(ख) अस्तर के उपर संश्लेशित चमकीले लेप के दो तह रोगन सहित लौह फ्रेम के पूर्ण शीशे के पल्ले।
3. खिड़की: अस्तर के उपर संश्लेशित चमकीला लेप के दो तरह रोगन सहित सम्पत पल्ले (प्लस डोट)
4. फर्श: मोजाइक टाइल्स/भट्टिफाईड टाइल्स।
5. रसोई: (क) कार्यकारी प्लैटफॉर्म : संगमरमर
(ख) डैडो : कार्यकारी प्लैटफॉर्म से 2'-6" उचाई तक ग्लेजटाइलस
(ग) सिंक : संगमरमर/स्टील
6. स्नानाघर : (क) डैडो : फर्श से 6"-0" तक की उचाई तक ग्लेजटाइलस
(ख) संयंत्र स्वच्छता : उजला, चमकीला एवं मिटिसय
(ग) उपसाधन : कोमियम अस्तर वाले उपकरण
(घ) सिस्टम : उजला एकिलिक अथवा फाइबर ग्लास



M/S. RUODRAKSHA INFRASTRUCTURE
Shanu Kumar
29/1/2016

Shankar Singh 29/1/16
Shikha Singh 29/2/16
29/2/16

7. विद्युतीय :-

(क) सभी भीतरी विद्युती वायरिंग, प्लास्टर के अंदर छुपे, पी0भी0सी0 पाइप के भीतर तौबा संवाहक तार।

(ख) प्रत्येक फ्लैट में एक दूरदर्शन बिंदु एवं एक दूरभाष बिंदु (दूरभाष सम्पर्क नहीं)।

(ग) मानक निर्माताओं द्वारा निर्मित सभी विद्युत् स्विच उपसाधन (पंखे एवं बल्ब सन्निहित नहीं)।

(घ) प्रत्येक फ्लैट में पर्याप्त प्रकाशकीय/पावर बिंदु, चकती, निर्गम।

8. भीतरी दिवाल का रूप : सभी भीतरी दिवाल को पी0ओ0पी0 से अंतिम रूप दिये जायेंगे।

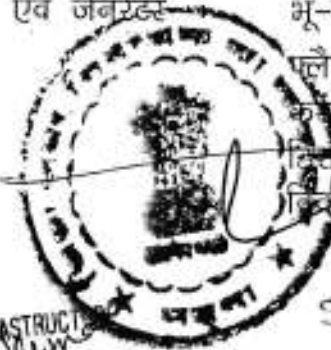
9. बाहरी दिवाल का रूप : सभी बाहरी दिवाल पर स्नोसेम के दो तह रोगन किये जायेंगे।

नोट:- सभी विशिष्ट, आकार एवं खोक आदि में परिवर्तन, वृद्धि बदलाव और फेरबदल सक्षम विशेषज्ञ के द्वारा तय किये जायेंगे।

अन्य विशिष्टियाँ :- व्यय एवं जमा राशि।

1. विद्युत संयोजन : भू-स्वामियों के द्वारा अपने स्तर व खर्च पर कराया जायेगा।

2. लिफ्ट एवं जेनरेटर भू-स्वामियों के हिस्से का फ्लैट का खर्च भूस्वामी करेंगे एवं विकासकर्ता के हिस्से के फ्लैट का खर्च विकासकर्ता करेंगे।



M/S. RUODRAKSHA INFRASTRUCTURE
Sham Kumar
29/12/14

Susheel Singh
Shilpi Singh
(Signature)

29/12/14
(Signature)
29/12/14



बिहार BIHAR

Serial No. 7001

क्र. सख्या ६२०५ तिथि २९ जून मूल्य २००० पृष्ठ सख्या १/१ S 1-5/56

क्र. का नाम एवं पता श्रीमती शिवानी देवी सा जीतम दुर्गा नंदा (जी. डी. नं. १०८५)
 ज. बिहार सा. बिहार विधान निबंधन कार्यालय दानापुर सा. नं. २९/१९९६

Govt. of Bihar

Sub Registry Office, Danapur

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 29/06/2015 by Hiramani Devi Alias Hiramani Gupta

A Stamp Duty of Rs. 76400/- and other Fees of Rs. 19950/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. 6864 in Book No. 1, Volume No. 138 on pages 124 to 135 and has been preserved in total 12 pages in C.D. No. 22 / Year 2015

Date: 29/06/2015

Token No: 7045 / 2015

Signature with Deed
 (Dhananjay Kumar Rastogi)
 Registering Officer, Danapur

DEED OF ABSOLUTE SALE

(निर्विवाद विक्रय पत्र)

गृह निर्विवाद विक्रय विलेख (Absolute sale deed) आज

दिनांक-29/06/2015 ई० को निम्नलिखित विक्रेता द्वारा

निम्नलिखित क्रेता के पक्ष में निष्पादित किया गया।



श्रीमती देवी शिवानी देवी सा जीतम दुर्गा नंदा (जी. डी. नं. १०८५)
 सा. बिहार सा. बिहार विधान निबंधन कार्यालय दानापुर सा. नं. २९/१९९६
 29/6/2015
 29-6-2015

श्रीमती हीरामनी देवी उर्फ हीरामनी गुप्ता पति का नाम श्री ओम प्रकाश कुमार, निवास स्थान- मोठापुर बी० एरिया, थाना- जयकनपुर, पोस्ट- जी० पी० ओ०, जिला- पटना, भारतीय नागरिक, इसमें इनके उत्तराधिकारीगण, स्थानापन्न एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित हैं जिसे आगे लेख्यकारिणी/ विक्रेता कहा गया है। ५५/६-६०

श्रीमती शिल्पी सिंह, पति का नाम श्री वृज किशोर सिंह,
निवास स्थान- मॉ महेश्वरी निवास, गौतम बुद्ध नगर, गोदना
रोड, अनाइठ, आरा, थाना- नवादा, पोस्ट- अनाइठ, जिला-
भोजपुर, पिन कोड नं०- 802301, भारतीय नागरिक (इसमें
इनके उत्तराधिकारीगण, स्थानापत्र एवं विधिक प्रतिनिधि
इत्यादि सम्मिलित हैं) जिसे आगे लेख्यधारिणी/ कंता कहा
गया है। ५५१०८५०५५१२५

(DEED OF ABSOLUTE SALE)

4154

मनाजी 01 कट्टा 05 धूर 08 धुरकी (एक कट्टा पाँच धूर
आठ धुरकी) यानि 1732 वर्गफीट भूमि आवासीय परती सकना



हीरा मणि तैल
हीरा मणि तैल



बनाने मकान के लायक जिसका अधिकार कास्त रैयती कायमी नगदी वाके गौजा- लखनी बिगहा, परगना- फुलवारी शरीफ, थाना दो अंचल दो सब रजिस्ट्री- दानापुर, सदर रजिस्ट्री दो जिला- पटना, जिसका थाना नं०- 41 (एकतालीस), थाना कोड नं०- 162, जोन नं०- 02, तौजी नं०- 5225, खाता नं०- 121 (एक सौ एकीस), सर्वे प्लॉट नं०- 1785 (एक हजार सात सौ पचासी), में एराजी 01 कटठा 05 धुर 08 धुरकी यानि 3.9761 डीसमल। आवंटित प्लॉट नं०- 03 एवं 148 का अंश

जिसकी वार्षिक लगान- ₹ 1/- रुपया अलावे शेष।

बजगोन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर वाके है। नगायन्ती नं०- 2050 सन् 2014-15 ई० है।

“ चौहदी ”

उत्तर :- बीस फीट का सहायक रास्ता।

दक्षिण :- पार्ट प्लॉट जिसके आज खरीदार श्री रविन्द्र कुमार सिंह।

पूरब :- पार्ट प्लॉट जिसके आज खरीदार श्रीमती सुशीला सिंह।

पश्चिम- बीस फीट का सहायक रास्ता।

“ सन्दर्भ ”

हकियत यह है कि खाना नं० 5 मे वर्णित सम्पत्ति को लेख्यकारिणी दो किता नगरिये वशिका बिकय पत्र द्वारा खरीदगी सम्पत्ति है। जिसे लेख्यकारिणी ने नविस्ते मृदभाषी सहकारी गृह निर्माण समिति लि० चिरैयाटाड़ पटना जिसका निबन्धन संख्या- 201/पैट सन् 1987 ई० जिसका सचिव श्री अशोक कुमार पिता का नाम श्री मथुरा उपाध्याय दो श्री अरुण कुमार गोदी पिता का नाम श्री राम दास गोदी एवं सचिव राम पिता का नाम स्वर्गीय बाबूलाल राम, तीनों का निवास स्थान चिरैयाटाड़, थाना- ककड़बाग, जिला- पटना, से केन जारीत किया है। जिसमे पहला किता वशिका का दिनांक-

36
सही द्वारा मजिस्ट्री
द्वारा वसिष्ठ गुप्ता

23/6/2015

Rajesh Kumar
810 Prakash Kumar

P.D. No. - 1. 29/06/2015.



21/10/1992 ई० को मवाजी 3600 वर्गफीट खरीद किये है। जिसका बुक नं० 01, जिल्द नं० 33, पेज नं०- 69 से 76, नशिका नं०- 7841, सन् 1992 वो दुसरा किता वशिका का दिनांक- 27/11/1992 ई० को मवाजी 3600 वर्गफीट खरीद किये है। जिसका बुक नं०- 01, जिल्द नं०- 33, पेज नं०- 575 से 582, नशिका नं० 8536, सन् 1992 ई० दोनो वशिका निबंधन कार्यालय दानापुर मे निबंधित है। वय खरीदगी के रोज से उक्त एराजी पर लेख्यकारिणी काबिज दखिल मालिक मुस्तकील चली आ रही वो है। वो लेख्यकारिणी का नाम अंचल कार्यालय दानापुर के जमाबंदी रैयत सरख्या- 2050 सन् 2014-15 ई० पर दर्ज चला आता है। इस प्रकार लेख्यकारी को उपयुक्त खाना नं० 5 मे वर्णित सम्पति पर दखल कब्जा का प्रमाण रुप से प्रमाणित है। वो एराजी खाने नं०- 5 पर प्रमाण के मुताबिक से मान्य वो सत्य है।

लेख्यकारिणी को खरीदने दिगर जमीन एवं अन्य जरूरतों की पूर्ती हेतु रुपयों का अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाना नं० 5 में वर्णित सम्पति की बिक्री लेख्यकारिणी नहीं करते है तब तक रुपयों का प्रबन्ध करना लेख्यकारिणी के वास्ते वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है।

अतएव लेख्यकारिणी ने बहसियत सम्पत्ति के मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावरस्था में अपना सम्पूर्ण लाभ हानि को भली भांति समझ बुझकर अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाना नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार उचित मूल्य मो०- 9,55,000/- रुपया (नौ लाख पचपन हजार रुपया) में बदस्त लेख्यधारिणी खाना नं० 2 के बेचा वो बयला कलागी किया वो लेख्य निष्पादन का एकरार सहर्ष स्वीकार किया।

बेदी डीरा मणि देवी 575
डीरा मणि देवी
20.10.2015



इस प्रकार लेख्यकारिणी का कुल मूल्य नगद राशि केता पक्ष के यहाँ से वसूल हो बैवाक हुआ। अब लेख्यकारिणी का एक नया पैसा भी केता पक्ष के यहाँ बाकी न रहा वो न कभी होगा।

यह कि खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूप्यों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त नही होगा। खरीदार खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति पर बहसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकूर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपयोग में लावे वो नाम अपनी बजाय लेख्यकारिणी के वसतिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग या नगर परिषद में इस बिक्रयपत्र के माध्यम से नामांकित करा लेवेगें। उस वक्त लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा वो यदि लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत बयान से किसी किसम के दावा या उजूरदारी निस्वत एराजी मजकूर या जरे सम्मन मजकूर को करें तो उनकी उजूरदारी या दावा बमोकावले वशिका बिक्रयपत्र के रद्द हो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा।

लेख्यकारिणी (बिक्रेता) ने लेख्यधारिणी (केता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये और विश्वास दिलाये है कि खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार सम्बन्धी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी से पूर्णत मुक्त वो पाक साफ है। वो आज तक लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी ने खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई

रही इस गति से 373
की मिति गुप्त

29.6.20.15



हस्तांतरण नहीं किया है वो नहीं लिखे है। जिससे लेख्यधारिणी पूर्णतः संतुष्ट है। वो अगर खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार सम्बन्धी इंडेंट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति में पाया जाये या लेख्यधारिणी या उनके उत्तराधिकारी को हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी सम्पत्ति के अंश या कुल भूभाग से बेदखल कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को हो तो तैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी अपनी क्षतिपूर्ती बकदर बेदखली या जो जो ऋण भार उनके अदाय करना पड़े उसी लेख्यधारिणी से या उनके उत्तराधिकारी से या उनके अन्तर्गत चलाने वाली सम्पत्ति से कानूनी कार्रवाई करके वसूल वो बेवाक कर लेवेंगे। उस वक्त लेख्यधारिणी या उनके किसी भी उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा। प्रमाणित किया जाता है कि तरीका में वर्णित भूमि खास महल, गैर मजूरआ, सिद्धिंग, भु-दान, लाल कार्ड, केरीर हिन्दू धार्मिक न्याय बोर्ड, वक्फ बोर्ड, एवं किसी प्रकार से सरकारी भूमि नहीं है एवं हर प्रकार से मुक्त है।

इस वारते यह बरिफा निर्विवाद बिक्रय पत्र यानि केवाला वयला कलामी का लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

दिनांक- 29/06/2015
लेख्यधारिणी का हस्ताक्षर/ निशान

राजा कृष्ण सिंह
अधिकार प्रमाणित
29/06/2015

टंकक
अमीत कुमार

Skulki Singh
29/06/15

प्रारूपकर्ता

Raj Kumar

राजू कुमार

ल० न० 40/2002

तरीका बिकेता एवं केता के कहने के अनुसार तैयार किया वो पढ़कर सुना दिया।

Online Bank Statement

29/06/2015

राजा कृष्ण सिंह
अधिकार प्रमाणित
29/06/2015

उस
इसके द्वारा मालिक की उजूर
दिए जा रहा है
29/06/2015

अनुमान के आधार पर नजरी नक्शा

1. लेख्यकारिणी का नाम एवं पुरा पता

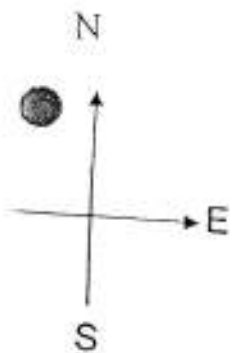
श्रीमती हीरामणी देवी उपर हीरामणी गुप्ता पति का नाम श्री ओम प्रकाश कुमार, निवास स्थान- भीटापुर बी० एरिया, थाना- जक्कनपुर, पोस्ट- जी० पी० ओ०, जिला- पटना, भारतीय नागरिक।

2. लेख्यकारिणी का नाम एवं पुरा पता

श्रीमती शिल्पी सिंह, पति का नाम श्री बृज किशोर सिंह, निवास स्थान- मौं महेश्वरी निवास, यादव बुद्ध नगर, गोदना रोड, अनाइठ, आरा, थाना- नवादा, पोस्ट- अनाइठ, जिला- भोजपुर,

मौजा- लखनी विगहा, परगना- फुलवारी शरीफ, थाना वो अंचल वो सब रजिस्ट्री- दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला- पटना, जिसका थाना नं०- 41 (एकतालीस), थाना कोड नं०- 162, जोन नं० 02, तौजी नं० 5225, खाता नं० 121 (एक सौ एकीस), सर्वे प्लॉट नं०- 1785 (एक हजार सात सौ पचासी), में एराजी 01 कटठा 05 धुर 08 धुरकी यानि 1732 वर्गफीट यानि 39781 हीरामणी आवंटित प्लॉट नं० 03 एवं 148 का अंश।

यह कि नजरिया नक्शा पक्षकारों द्वारा दिया जा रहा है जो लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रमाणित किया जाता है कि नजरिया नक्शा में प्रश्नगत भूखण्ड 50 मी० त्रिज्या के अन्दर भूमि की विशेषताओं को दर्शाया है।



बीस फीट का रास्ता		
बीस फीट का रास्ता	सर्वे प्लॉट नं० 1785 में एराजी 01 कटठा 05 धुर 08 धुरकी श्रीमती शिल्पी सिंह।	पार्ट प्लॉट जिसके आज खरीदार श्रीमती सुशीला सिंह।
	पार्ट प्लॉट जिसके आज खरीदार श्री रविन्द कुमार सिंह।	

रा मन्मथेन्द्र देवी हस्ताक्षर
सी हीरा मणी गुप्ता

20.6.2015

कैता का हस्ताक्षर

Shilpi Singh

29/06/15





बिहार BIHAR

Serial No. 7000

18/06/2015 दिनांक 29/06/2015 मूल्य 9000/- एवं माला 9 बी. 14 55

श्री सुशीला सिंह व नंदन सिंह के नाम पर

जबोहाल लाल विप्रेता विप्रेता माधवदास विप्रेता लाल नं. 29/198

Govt. of Bihar

Sub Registry Office, Danapur

Deed No. 68

and document in this pr

Gupta

A Stamp Duty of Rs. 76400/- and other Fees of Rs. 19950/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the

Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the

reverse page.

The document has been registered as Deed No. 6863 in Book No. 1, Volume No. 138 on pages from

112 to 123 and has been preserved in total 12 pages in C.D. No. 22 / Year 2015

Date: 29/06/2015

Token No: 7044 / 2015

29/6/2015

Signature with Date

(Dhananjay Kumar Rana)

Registering Officer, Danapur

DEED OF ABSOLUTE SALE

(निर्विवाद बिक्रय पत्र)

यह निर्विवाद बिक्रय विलेख (Absolute sale deed) आज
दिनांक-29/06/2015 ई० को निम्नलिखित बिक्रेता द्वारा
निम्नलिखित क्रेता के पक्ष में निष्पादित किया गया।



श्री सुशीला सिंह व नंदन सिंह के नाम पर
जबोहाल लाल विप्रेता विप्रेता माधवदास विप्रेता लाल नं. 29/198
दिनांक 29/06/2015
2015

1. लेख्यकारिणी का नाम एवं पूरा पता:-

श्रीमती हीरामनी देवी उर्फ हीरामनी गुप्ता पति का नाम श्री ओम प्रकाश कुमार, निवास स्थान- मीठापुर बी० एरिया, थाना- जक्कनपुर, पोस्ट- जी० पी० ओ०, जिला- पटना, भारतीय नागरिक, इसमें इनके उत्तराधिकारीगण, स्थानापत्र एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित है जिसे आगे लेख्यकारिणी / बिकेता कहा गया है। पृष्ठ-६०

श्री हीरामनी देवी उर्फ
हीरामनी गुप्ता
29.6.2015

2- लेख्यधारिणी का नाम एवं पूरा पता:-

श्रीमती सुशीला सिंह, पति का नाम श्री कविन्द्र कुमार सिंह, निवास स्थान- सूर्य विला नेउरा रोड, खगौल, थाना- खगौल, पोस्ट- खगौल, जिला- पटना, पिन कोड नं०- 801105, भारतीय नागरिक (इसमें इनके उत्तराधिकारीगण, स्थानापत्र एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित हैं) जिसे आगे लेख्यधारिणी / केता कहा गया है। पृष्ठ-१०- DYP502080

3. लेख्य-प्रकार:-

केवाला बयला कलामी।

(DEED OF ABSOLUTE SALE)

4. मूल्यांकन:-

मो०- 9,55,000/- रुपया (नौ लाख पचपन हजार रुपया) मात्र।

5. विवरण का विवरण:-

मकान 01 कट्टा 05 धुर 08 धुरकी (एक कट्टा पाँच धुर आठ धुरकी) यानि 1732 वर्गफीट भूमि आवासीय परती सकना



रा मणि देवी
ग मणि देवी

प्राप्तकर्ता
श्री- स्व. लक्ष्मी प्रसाद
नीति देवी देवी
श्री- लक्ष्मी देवी
पति- पटना जिला- 29.6.2015

बनाने मकान के लायक जिसका अधिकार कास्त रैयती कायमी नगदी बाके मौजा- लखनी बिगहा, परगना- फुलवारी शरीफ, थाना वो अंचल वो सब रजिस्ट्री- दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला- पटना, जिसका थाना नं०- 41 (एकतालीस), थाना कोड नं०- 162, जोन नं०- 02, तौजी नं०- 5225, ग्याता नं०- 121 (एक सौ एकीस), सर्वे प्लॉट नं०- 1785 (एक हजार सात सौ पचासी), में एराजी 01 कटठा 05 धुर 08 धुरकी यानि 3.9761 डीसमल। आवंटित प्लॉट नं०- 03 एवं 148 का अंश।

जिसकी वार्षिक लगान- 1/- रुपया अलावे शेष।

बजमोन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर बाके है। जमाबन्दी नं०- 2050 सन् 2014-15 ई० है।

" चौहदी "

उत्तर :- बीस फीट का सहायक रास्ता।

दक्षिण :- पार्ट प्लॉट जिसके आज खरीदार श्री रविन्द्र कुमार सिंह।

पूरब :- बीस फीट का सहायक रास्ता।

पश्चिम :- पार्ट प्लॉट जिसके आज खरीदार श्रीमती शिल्पी सिंह

" सन्दर्भ "

हकियत यह है कि खाना नं० 5 मे वर्णित सम्पत्ति को लेख्यकारिणी दो किता वजारिये वशिका बिकय पत्र द्वारा खरीदगी सम्पत्ति है। जिस लेख्यकारिणी ने नविस्ते मृदभाषी सहकारी गृह निर्माण समिति लि० चिरैयाटाइ पटना जिसका निबंधन संख्या- 201/पेट सन् 1987 ई० जिसका सचिव श्री अशोक कुमार पिता का नाम श्री मथुरा उपाध्याय वो श्री अरुण कुमार मोदी पिता का नाम श्री राम दास मोदी एवं द्वारिका राम पिता का नाम स्वर्गीय बाबुलाल राम, तीनों का निवास स्थान- चिरैयाटाइ, थाना- कंकड़बाग, जिला- पटना, से वेय अशोक निवृत्त है। जिसमे पहला किता वशिका का दिनांक



US
31

सी हरि सिंग
सी हरि सिंग
29.6.2015

सिंह लक्ष्मी
श्री बालक सिंह
पुष्पक सिंह
पुष्पक सिंह
पुष्पक सिंह

21/10/1992 ई० को मवाजी 3600 वर्गफीट खरीद किये है।
जिराका बुक नं० 01, जिल्द नं० 33, पेज नं० 69 से 76,
वशिका नं० 7841, सन् 1992 वो दुसरा किता वशिका का दिनांक-
27/11/1992 ई० को मवाजी 3600 वर्गफीट खरीद किये है।
जिराका बुक नं० 01, जिल्द नं० 33, पेज नं० 575 से 582,
वशिका नं० 7842, सन् 1992 ई० दोनो वशिका निबंधन कार्यालय
दानापुर मे निबंधित है। बैय खरीदगी के रोज से उक्त एराजी पर
लेख्यकारिणी काबिज दखिल मालिक मुस्तकील चली आ रही वो है।
वो लेख्यकारिणी का नाम अंधल कार्यालय दानापुर के जमाबंदी रैयत
संख्या- 2050 सन् 2014-15 ई० पर दर्ज चला आता है। इस
प्रकार लेख्यकारी को उपयुक्त खाना नं० 5 मे वर्णित सम्पति पर
दखल कब्जा का प्रमाण रुप से प्रमाणित है। वो एराजी खाने नं०-
5 हर प्रकार के नुक्स वगैरह से पाक वो साफ है।
लेख्यकारिणी को खरीदने दिगर जमीन एवं अन्य जरूरतों की
पूती हतु रुपया का अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाना
नं० 5 में वर्णित सम्पति की बिक्री लेख्यकारिणी नहीं करते है
तब तक रुपयों का प्रबन्ध करना लेख्यकारिणी के वास्ते वर्तमान
आय से प्रायः मुश्किल है।

अतएव लेख्यकारिणी ने बहैसियत सम्पत्ति के मूल स्वामी
वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की
स्वस्थतावरथा में अपना सम्पूर्ण लाभ हानि को भली भांति समझ
बुझकर अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श
इत्यादि लेकर विना बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने
समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाना नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति को
समयानुसार उचित मूल्य मो० 9,55,000/- रुपया (नौ लाख
पचपन हजार रुपया) में बदस्त लेख्यधारिणी खाना नं० 2 के
वेया वो गयला कलामी विद्या वो लेख्य निष्पादन का एकरार
सहर्ष स्वीकार किया।

मेरी दोस्त मणि देवी
मेरी दोस्त मणि देवी



इस प्रकार लेख्यकारिणी का कुल मूल्य नगद राशि केता पक्ष के यहाँ से वसूल हो बैवाक हुआ। अब लेख्यकारिणी का एक नया पैसा भी केता पक्ष के यहाँ बाकी न रहा वो न कभी होगा।

यह कि खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वी दखल कब्जा आज तक लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता वह सब कुल हक वी दखल कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा। खरीदार खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति पर बहसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर गो रहकर जीयदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वी उपभोग में लावें वो नाम अपनी बजाय लेख्यकारिणी के वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग या नगर परिषद में इस बिक्रयपत्र के माध्यम से नामांकित करा लेवेंगे। उस वक्त लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वी एतराज न है वो न कभी होगा वो यदि लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत बयान से किसी किरम के दावा या उजूरदारी निरखत एराजी मजकुर या जरे सम्मन मजकुर के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा बमोकाबले बशिका बिक्रयपत्र के रद्द वी गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा।

लेख्यकारिणी (बिक्रेता) ने लेख्यधारिणी (केता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये और विश्वास दिलाये है कि खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार सम्बन्धी झंझट वी ऋण भार सरकारी वी गैर सरकारी से पूर्णतः मुक्त वी पाक साफ है। वो आज तक लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी ने खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई

मैत्री
हस्ताक्षर
मैत्री

मैत्री

29.6.20.15



हस्तांतरण नहीं किये हैं वो नहीं लिखें हैं। जिससे लेख्यधारिणी पुर्णतः संपुर्ण है। नो अगर खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार सम्बन्धी इन्जट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति में पाया जाये या लेख्यधारिणी या उनके उत्तराधिकारी के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी सम्पत्ति के अंश या कुल भूभाग से बेदखल कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी अपनी क्षतिपूर्ती तकदर बेदखली या जो जो ऋण भार उनके अदाय करना पड़े उसे लेख्यधारिणी से या उनके उत्तराधिकारी से या उनके अन्यान्य गैरलाभल सम्पत्ति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेवाक कर लेवेंगे। उस वक्त लेख्यधारिणी या उनके किसी भी उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा। प्रमाणित किया जाता है कि वसीका मे वर्णित भूमि खास महल, गैर मजरूआ, सिलिंग, भु-दान, लाल कार्ड, कैसैर हिन्द, धार्मिक न्याय बोर्ड, वक्फ बोर्ड, एवं किसी प्रकार से सरकारी भूमि नहीं है एवं हर प्रकार से मुक्त है।

इस वास्ते यह वसीका निर्विवाद बिकय पत्र यानि केवाला वयला कलागी का लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

दिनांक- 27 जून 2015 ई.
लेख्यधारिणी का हस्ताक्षर/ निशान

Sushree Singh
29/6/2015

महाराष्ट्र सरकार
सचिव, वक्फ बोर्ड
अ. फिरोजपुरा

टंकक
अमीत कुमार

प्रारूपकर्ता
राजू कुमार

ल० नं० 40/2002

वसीका बिकेता एवं केता के कहने के अनुसार तैयार किया वो पढ़कर सुना

Online Bank challan check

29/6/15



मेरी वसी मणि देवी 375
मेरी मणि देवी
29.6.2015

अनुमान के आधार पर नजरी नक्शा

1. लेखनकारिणी का नाम एवं पता

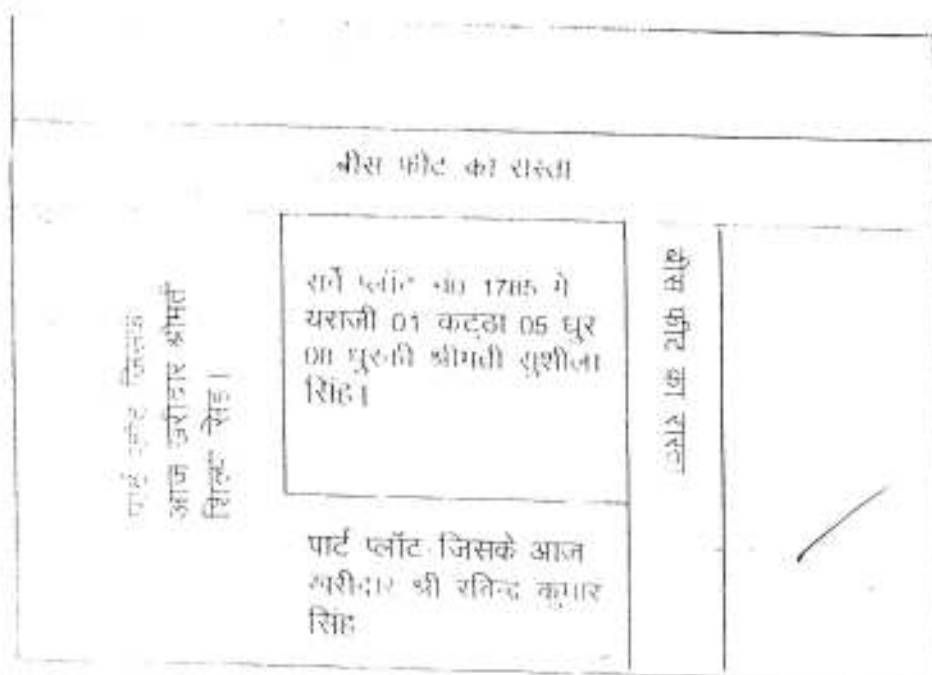
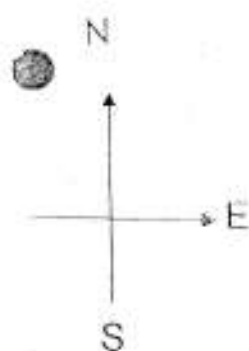
श्रीमती हीरामणी दवी उर्फ हीरामणी गुप्ता पति का नाम श्री ओम प्रकाश कुमार निवास स्थान- गीतापुर पी० एरिया, थाना- जमकनपुर, पोस्ट- जी० पी० ओ०, जिला- पटना, भारतीय नागरिक।

2. लेखनकारिणी का नाम एवं पता

श्रीमती सुशीला सिंह, पति का नाम श्री कविन्द्र कुमार सिंह, निवास स्थान- सुर्य विला नवगंज, समौल, थाना- समौल, पोस्ट- समौल, जिला- पटना,

मौजा- लेखनी बिगहा, परगना- फुलवारी शरीफ, थाना वो अंचल वो सब रजिस्ट्री- दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला- पटना, जिसका थाना नं०- 41 (एकतालीस), थाना कोड नं०- 162, जोन नं०- 02, तौजी नं०- 5225, खाता नं०- 121 (एक सौ एकीस), सर्वे प्लॉट नं०- 1785 (एक हजार सात सौ पचासी), में एराजी 01 कट्टा 05 धुर 08 धुरकी यानि 1732 वर्गफीट यानि 39761 बीरामला जमीन प्लॉट नं०- 03 एवं 148 का अंश।

यह कि नजरिया नक्शा पक्षकारों द्वारा दिया जा रहा है जो रंग से दर्शाया गया है। प्रमाणित किया जाता है कि नजरिया नक्शा में प्रश्नगत भूखण्ड 50 मी० त्रिज्या के अन्दर भूमि की विशेषताओं को दर्शाया है।



निकाला का हस्ताक्षर

हीरामणी गुप्ता
हीरामणी गुप्ता

कैता का हस्ताक्षर

Susheela Singh

29/6/2015

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये
रु. 1000

ONE THOUSAND RUPEES
Rs.1000

बिहार BIHAR

Serial No. 6099

क्रम संख्या ४०० तिथि २६/१२/२०२२ मूल्य १०००२ पृष्ठ संख्या १ का १

S 145754

2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
2024-25
2025-26
2026-27
2027-28
2028-29
2029-30
2030-31
2031-32
2032-33
2033-34
2034-35
2035-36
2036-37
2037-38
2038-39
2039-40
2040-41
2041-42
2042-43
2043-44
2044-45
2045-46
2046-47
2047-48
2048-49
2049-50
2050-51
2051-52
2052-53
2053-54
2054-55
2055-56
2056-57
2057-58
2058-59
2059-60
2060-61
2061-62
2062-63
2063-64
2064-65
2065-66
2066-67
2067-68
2068-69
2069-70
2070-71
2071-72
2072-73
2073-74
2074-75
2075-76
2076-77
2077-78
2078-79
2079-80
2080-81
2081-82
2082-83
2083-84
2084-85
2085-86
2086-87
2087-88
2088-89
2089-90
2090-91
2091-92
2092-93
2093-94
2094-95
2095-96
2096-97
2097-98
2098-99
2099-00
2100-01
2101-02
2102-03
2103-04
2104-05
2105-06
2106-07
2107-08
2108-09
2109-10
2110-11
2111-12
2112-13
2113-14
2114-15
2115-16
2116-17
2117-18
2118-19
2119-20
2120-21
2121-22
2122-23
2123-24
2124-25
2125-26
2126-27
2127-28
2128-29
2129-30
2130-31
2131-32
2132-33
2133-34
2134-35
2135-36
2136-37
2137-38
2138-39
2139-40
2140-41
2141-42
2142-43
2143-44
2144-45
2145-46
2146-47
2147-48
2148-49
2149-50
2150-51
2151-52
2152-53
2153-54
2154-55
2155-56
2156-57
2157-58
2158-59
2159-60
2160-61
2161-62
2162-63
2163-64
2164-65
2165-66
2166-67
2167-68
2168-69
2169-70
2170-71
2171-72
2172-73
2173-74
2174-75
2175-76
2176-77
2177-78
2178-79
2179-80
2180-81
2181-82
2182-83
2183-84
2184-85
2185-86
2186-87
2187-88
2188-89
2189-90
2190-91
2191-92
2192-93
2193-94
2194-95
2195-96
2196-97
2197-98
2198-99
2199-00
2200-01
2201-02
2202-03
2203-04
2204-05
2205-06
2206-07
2207-08
2208-09
2209-10
2210-11
2211-12
2212-13
2213-14
2214-15
2215-16
2216-17
2217-18
2218-19
2219-20
2220-21
2221-22
2222-23
2223-24
2224-25
2225-26
2226-27
2227-28
2228-29
2229-30
2230-31
2231-32
2232-33
2233-34
2234-35
2235-36
2236-37
2237-38
2238-39
2239-40
2240-41
2241-42
2242-43
2243-44
2244-45
2245-46
2246-47
2247-48
2248-49
2249-50
2250-51
2251-52
2252-53
2253-54
2254-55
2255-56
2256-57
2257-58
2258-59
2259-60
2260-61
2261-62
2262-63
2263-64
2264-65
2265-66
2266-67
2267-68
2268-69
2269-70
2270-71
2271-72
2272-73
2273-74
2274-75
2275-76
2276-77
2277-78
2278-79
2279-80
2280-81
2281-82
2282-83
2283-84
2284-85
2285-86
2286-87
2287-88
2288-89
2289-90
2290-91
2291-92
2292-93
2293-94
2294-95
2295-96
2296-97
2297-98
2298-99
2299-00
2300-01
2301-02
2302-03
2303-04
2304-05
2305-06
2306-07
2307-08
2308-09
2309-10
2310-11
2311-12
2312-13
2313-14
2314-15
2315-16
2316-17
2317-18
2318-19
2319-20
2320-21
2321-22
2322-23
2323-24
2324-25
2325-26
2326-27
2327-28
2328-29
2329-30
2330-31
2331-32
2332-33
2333-34
2334-35
2335-36
2336-37
2337-38
2338-39
2339-40
2340-41
2341-42
2342-43
2343-44
2344-45
2345-46
2346-47
2347-48
2348-49
2349-50
2350-51
2351-52
2352-53
2353-54
2354-55
2355-56
2356-57
2357-58
2358-59
2359-60
2360-61
2361-62
2362-63
2363-64
2364-65
2365-66
2366-67
2367-68
2368-69
2369-70
2370-71
2371-72
2372-73
2373-74
2374-75
2375-76
2376-77
2377-78
2378-79
2379-80
2380-81
2381-82
2382-83
2383-84
2384-85
2385-86
2386-87
2387-88
2388-89
2389-90
2390-91
2391-92
2392-93
2393-94
2394-95
2395-96
2396-97
2397-98
2398-99
2399-00
2400-01
2401-02
2402-03
2403-04
2404-05
2405-06
2406-07
2407-08
2408-09
2409-10
2410-11
2411-12
2412-13
2413-14
2414-15
2415-16
2416-17
2417-18
2418-19
2419-20
2420-21
2421-22
2422-23
2423-24
2424-25
2425-26
2426-27
2427-28
2428-29
2429-30
2430-31
2431-32
2432-33
2433-34
2434-35
2435-36
2436-37
2437-38
2438-39
2439-40
2440-41
2441-42
2442-43
2443-44
2444-45
2445-46
2446-47
2447-48
2448-49
2449-50
2450-51
2451-52
2452-53
2453-54
2454-55
2455-56
2456-57
2457-58
2458-59
2459-60
2460-61
2461-62
2462-63
2463-64
2464-65
2465-66
2466-67
2467-68
2468-69
2469-70
2470-71
2471-72
2472-73

Govt. of Bihar

Govt. of Bihar
Sub Registry Office, Danapur
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 29/06/2015 by Hiramani Devi Alias Hiramani Gupta
A Stamp Duty of Rs. 164720/- and other

A Stamp Duty of Rs. 164720/- and other Fees of Rs. 42030/- has been paid in it. The document was found admissible. The Names, Photographs, Executants and their Identifications are as follows:-

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. 6862 in Book No. 1, Volume No. 138 on pages from 100 to 111 and has been preserved in total 12 pages in C.D. No. 22 / Year 2015

Date: 29/06/2015

Token No: 7042 /2015

Signature with Date
(Dhananjay Kumar Rao)
Registering Officer, Danapur

DEED OF ABSOLUTE SALE

(निर्विवाद द्विकय पत्र)

यह निर्विवाद बिक्रय विलेख (Absolute sale deed) आज दिनांक:- 29/04/2015 ई० को निम्नलिखित बिक्रेता द्वारा निम्नलिखित क्रेता के पक्ष में निष्पादित किया गया।



1. लेख्यकारिणी का नाम एवं पूरा पता:-

श्रीमती हीरामनी देवी उर्फ हीरामनी गुप्ता पति का नाम श्री ओम प्रकाश कुमार, निवास स्थान- मीठापुर बी० एरिया, थाना- जक्कनपुर, पोस्ट- जी० पी० ओ०, जिला- पटना, भारतीय नागरिक, इसमें इनके उत्तराधिकारीगण, स्थानापत्र एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित है जिसे आगे लेख्यकारिणी/ बिक्रेता कहा गया है। पृष्ठ- 60

श्री हीरा मणि देवी उर्फ
हीरा मणि गुप्ता
29.6.2015

2- लेख्यधारी का नाम एवं पूरा पता:-

श्री रविन्द्र कुमार सिंह, पिता का नाम स्वर्गीय सुर्यदेव सिंह, निवास स्थान- सुर्य लोक नेउरा रोड, खगौल, थाना- खगौल, पोस्ट- खगौल, जिला- पटना, पिन कोड नं०- 801105, भारतीय नागरिक (इसमें इनके उत्तराधिकारीगण, स्थानापत्र एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित है) जिसे आगे लेख्यधारी/ क्रेता कहा गया है। पृष्ठ 70 DVJP501483

3. लेख्य-प्रकार:-

केवाला वयला कलामी।

(DEED OF ABSOLUTE SALE)

4. मूल्यांकन:-

मो०:- 20,59,000/- रुपया (बीस लाख उनसठ हजार रुपया) मात्र।



संपत्ति का विवरण:-

मवाजी 02 कटठा 14 धुर 18 धुरकी (दो कटठा चौदह धुर अठारह धुरकी) यानि 3736 वर्गफीट भूमि आवासीय परती

श्री - प्रकाश कुमार
श्री - स्व. लक्ष्मी प्रसाद
श्री - श्री रविन्द्र कुमार - पति
पटना 29.6.2015

हीरा मणि देवी उर्फ
हीरा मणि गुप्ता

सकना बनाने मकान के लायक जिसका अधिकार कास्त रैयती कायमी नगदी बांके मौजा- लखनी बिगहा, परगना- फुलवारी शरीफ, थाना वो अंचल वो सब रजिस्ट्री- दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला- पटना, जिसका थाना नं०- 41 (एकतालीस), थाना कोड नं०- 162, जोन नं०- 02, खाता नं०- 121 (एक सौ एकीस), सर्वे प्लॉट नं०- 1785 (एक हजार सात सौ पचासी), में एराजी 02 कट्टा 14 धुर 16 धुरकी यानि 8.5768 डीसमल। आवंटित प्लॉट नं०- 03 एवं 148 का अंश।

जिसकी वार्षिक लगान- 1/- रुपया अलावे शेष।

बजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर बांके है। जमाबन्दी नं०- 2050 सन् 2014-15 ई० है।

“ चौहती ”

उत्तर :- पार्ट प्लॉट जिसके आज खरीदार श्रीमती शिल्पी सिंह एवं श्रीमती सुशीला सिंह।

दक्षिण :- समिति प्लॉट नं०- 150

पुरब :- बीस फीट का सहायक रास्ता।

पश्चिम- बीस फीट का सहायक रास्ता।

“ सन्दर्भ ”

हकियत यह है कि खाना नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति को लेख्यकारिणी दो किता वजरिये वशिका बिकय पत्र द्वारा खरीदगी सम्पत्ति है। जिसे लेख्यकारिणी ने नविस्ते मृदभाषी सहकारी गृह निर्माण समिति लि० चिरैयाटाड़ पटना जिसका निबंधन संख्या- 201/पैट सन् 1987 ई० जिसका सचिव श्री अशोक कुमार पिता का नाम श्री मथुरा उपाध्याय वो श्री अरुण कुमार मोदी पिता का नाम श्री राम दास मोदी एवं द्वारिका राम पिता का नाम स्वर्गीय बाबुलाल राम, तीनों का निवास स्थान- चिरैयाटाड़, थाना- कंकड़बाग, जिला- पटना, से बंध खरीद किये है। जिसमे पहला किता वशिका का दिनांक-

सही दस्तावेज देवी डाक
दस्तावेज सुप्रा
29.6.2015

Right of the
Prakash Kumar
Vishwakarma
P.S. - 201/2015
Pattana - 1 - 29/06/2015



21/10/1992 ई० को मवाजी 3600 वर्गफीट खरीद किये है। जिसका बुक नं०- 01, जिल्द नं०- 33, पेज नं०- 69 से 76, वशिका नं०- 7841, सन् 1992 वो दुसरा किता वशिका का दिनांक- 27/11/1992 ई० को मवाजी 3600 वर्गफीट खरीद किये है। जिसका बुक नं०- 01, जिल्द नं०- 33, पेज नं०- 575 से 582, वशिका नं०- 8536, सन् 1992 ई० दोनो वशिका निबधन कार्यालय दानापुर मे निबधित है। बैय खरीदगी के रोज से उक्त एराजी पर लेख्यकारिणी काबिज दखिल मालिक मुस्तकील चली आ रही वो है। वो लेख्यकारिणी का नाम अंचल कार्यालय दानापुर के जमाबंदी रैयत संख्या- 2050 सन् 2014-15 ई० पर दर्ज चला आता है। इस प्रकार लेख्यकारी को उपयुक्त खाना नं० 5 मे वर्णित सम्पत्ति पर दखल कब्जा का प्रमाण रुप से प्रमाणित है। वो एराजी खाने नं०- 5 हर प्रकार के नुक्स वगैरह से पाक वो साफ है।

लेख्यकारिणी को खरीदने दिगर जमीन एवं अन्य जरूरतों की पूर्ती हेतु रुपयों का अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाना नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति की बिकी लेख्यकारिणी नहीं करते है तब तक रुपयों का प्रबन्ध करना लेख्यकारिणी के वास्ते वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है।

अतएव लेख्यकारिणी ने बहैसियत सम्पत्ति के मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपना सम्पूर्ण लाभ हानि को भली भांति समझ बुझकर अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाना नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार उचित मूल्य मो०- 20,59,000/- रुपया (बीस लाख उनसठ हजार रुपया) में बदस्त लेख्यधारी खाना नं० 2 के बेचा वो वथला कलामी किया वो लेख्य निष्पादन का एकरार सहर्ष स्वीकार किया।

असे डीरा मणि देवी अग्र
डीरा मणि अग्र 29.6.2015



इस प्रकार लेख्यकारिणी का कुल मूल्य नगद राशि केता पक्ष के यहाँ से वसूल हो बेबाक हुआ। अब लेख्यकारिणी का एक नया पैसा भी केता पक्ष के यहाँ बाकी न रहा वो न कभी होगा।

यह कि खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा। खरीदार खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति पर बहसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दखलदार होकर वो रहकर जायदाद मजकूर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी बजाय लेख्यकारिणी के बसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग या नगर परिषद में इस बिकयपत्र के माध्यम से नामांकित करा लेवेगें। उस वक्त लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा वो यदि लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्वत एराजी मजकूर या जरे सम्मन मजकूर के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा बमोकावले वशिका बिकयपत्र के रद्द हो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा।

लेख्यकारिणी (बिकेता) ने लेख्यधारी (केता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये और विश्वास दिलाये है कि खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार सम्बन्धी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी से पूर्णतः मुक्त वो पाक साफ है। वो आज तक लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी ने खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई

इस मसि दूनी 3
इस मसि 22/12/15
29.6.20.15

24

8



हस्तांतरण नहीं किये हैं वो नहीं लिखें हैं। जिससे लेख्यधारी पूर्णतः संतुष्ट है। वो अगर खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार सम्बन्धी संझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति में पाया जाये या लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी सम्पत्ति के अंश या कुल भूभाग से बेदखल कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी अपनी क्षतिपूर्ति वकदर बेदखली या जो जो ऋण भार उनके अदाय करना पड़े उसे लेख्यकारिणी से या उनके उत्तराधिकारी से या उनके अन्यान्य चलावल सम्पत्ति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेवाक कर लेंगे। उस वक्त लेख्यकारिणी या उनके किसी भी उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा। प्रमाणित किया जाता है कि वसीका में वर्णित भूमि खास महल, गैर मजरूआ, सिलिंग, भु-दान, लाल काई, कोसैर हिन्द, धार्मिक न्याय बोर्ड, वक्फ बोर्ड, एवं किसी प्रकार से सरकारी भूमि नहीं है एवं हर प्रकार से मुक्त है।

इस वास्ते यह बरिका निर्विवाद बिकय पत्र यानि केवाला वयला कलामी का लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

दिनांक- 27 जून 2015

लेख्यधारी का हस्ताक्षर/ निशाज

(Signature)
29/06/2015

टंकवा
अमीत कुमार

प्रारूपकर्ता

(Signature)
राजू कुमार

ला० नं० 40/2002

वसीका बिकेता एवं केता के कहने के अनुसार तैयार किया वो पदकर सुना

Gulzar Bank chadha chadha

हस्ताक्षर
29/06/2015



असेही रा मणि देवी 15/15
हीरा मणि गुप्ता
29.6.2015

अनुमान के आधार पर नजरी नक्शा

1. लेख्यकारिणी का नाम एवं पूरा पता:-

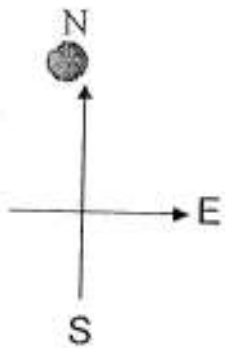
श्रीमती हीरामनी देवी उर्फ हीरामनी गुप्ता पति का नाम श्री ओम प्रकाश कुमार, निवास स्थान- मीठापुर बी० एरिया, थाना- जक्कनपुर, पोस्ट- जी० पी० ओ०, जिला- पटना, भारतीय नागरिक।

2- लेख्यधारिणी का नाम एवं पूरा पता:-

श्री रविन्द्र कुमार सिंह, पिता का नाम स्वर्गीय सुर्यदेव सिंह, निवास स्थान- सुर्य लोक नेउरा रोड, खगौल, थाना- खगौल, पोस्ट- खगौल, जिला- पटना।

मीजा- लखनी बिगहा, परगना- फुलवारी शरीफ, थाना वो अंचल वो सब रजिस्ट्री- दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला- पटना, जिसका थाना नं०- 41 (एकतालीस), थाना कोड नं०- 162, जोन नं०- 02, तौजी नं०- 5225, खाता नं०- 121 (एक सौ एकीस), सर्वे प्लॉट नं०- 1785 (एक हजार सात सौ पचासी), में एराजी 02 कट्टा 14 धुर 18 धुरकी यानि 3736 वर्गफीट यानि 8.5786 डीसमल। आवंटित प्लॉट नं०- 03 एवं 148 का अंश।

यह कि नजरिया नक्शा पक्षकारों द्वारा दिया जा रहा है जो लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रमाणित किया जाता है कि नजरिया नक्शा में प्रश्नगत भूखण्ड 50 मी० त्रिज्या के अन्दर भूमि की विशेषताओं को दर्शाया है।



	दिस फीट का रास्ता	पार्ट प्लॉट जिसके आज खरीदार श्रीमती शिल्पी सिंह एवं श्रीमती सुशीला सिंह।	दोस फीट का रास्ता	
		सर्वे प्लॉट नं० 1785 में एराजी 02 कट्टा 14 धुर 18 धुरकी श्री रविन्द्र कुमार सिंह।		
		समिति प्लॉट नं०- 150		

विक्रेता का हस्ताक्षर
श्री हीरामनी देवी उर्फ
श्रीमती गुप्ता
 29-6-2015

क्रेता का हस्ताक्षर
श्री रविन्द्र कुमार सिंह
 29/06/2015

Sch. XIV.—F.No. 180 V

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल / नाम मीजा मय

थाना वी थाना नम्बर

वि०स०मु०, पटना।

W.P फरद मालकी / फरद रैयती।

नाम रैयत मय वन्दित जमाबन्दी

वी सकुनत। नम्बर

X

105 2982

00567935

पानापुर | लखनी विहा | श्री रविन्द्र कुमार सिंह

अराजी नगदी

अराजी भावली

तफसील हिसाब लगान भावली।

०२ कक्षा १४ मुसलमान स्वतः धर्म देव सिंह साह धर्म शोक ने उरो से कोल
जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वी हाल) मौजूदा साल २०१४-१५ - खजौल, पटना

मांग बाबत २०१४-२०१५	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	
माल- } (नकदी)	३.००					३.००
गुजारी } (भावली)	०.७५					०.७५
सेस	१.५०					१.५०
* बुद	१.५०					१.५०
मुतफरकात	०.८०					०.८०
मीजान	७.३५					७.३५

बलादा

१२१

लैर

१७५

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत २०१४-२०१५	सालाना	बकाया				मोतालवा हाल	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।		
माल- } (नकदी)	३.००					३.००	
गुजारी } (भावली)	०.७५					०.७५	
सेस	१.५०					१.५०	
* बुद	१.५०					१.५०	
मुतफरकात	०.८०					०.८०	
मीजान	७.३५					७.३५	७.३५

(१) मीजान कुल (तफसील में)

(२) नाम देहिन्दा

(३) कुल बकाया

श्री रविन्द्र कुमार सिंह

परखत वी तारीख जमला तहसील कुनिन्दा

* खास महाल का बकाया मालगुजारी पर खेयात देले बकायों पर जिल पर कि सर्टिफिकेट जारी हो मुद नही लिया जाता है।

२०१४-१५

२०१४-१५

Sch. XIV.—F.No. 180 V

रसीद मालगुजारी

नाम सरकल। नाम मौजा मय

थाना यो थाना नम्बर

बि०स०मु०. पटना।

X
105 2989

नाम रस्यत मय वल्लियत जमाबन्दी

वो सकुनत। नम्बर

00567934

कनपुर लक्ष्मी सिंगल - श्रीमती प्रियंका सिंह

अराजी नगदी

अराजी भावली - तफसील हिसाब लगान भावली।

०१ फरवरी २०१८ - श्रीमती प्रियंका सिंह खास मौजा मय रसीद जमा

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया)

मांग बाबत	सालाना	बकाया				जोत
		तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	
२०१४-२०१६						
माल- (नकदी)	१.००					१.००
गुजारी (भावली)	०.२५					०.२५
सेस	०.५०					०.५०
*सुद	०.५०					०.५०
मुतफरकाल	०.२०					०.२०
मीजान	२.४५					२.४५

खाता
१२९
जोत
१९८५

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत	सालाना	बकाया				मीतालवा हाल	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।		
२०१४-२०१६							
माल- (नकदी)	१.००					१.००	
गुजारी (भावली)	०.२५					०.२५	
सेस	०.५०					०.५०	
*सुद	०.५०					०.५०	
मुतफरकाल	०.२०					०.२०	
मीजान	२.४५					२.४५	२.४५

(१) मीजान कुल (लफजों में) - दो हजार चौरासी पचास मात्र

(२) नाम देहिन्दा - देहिन्दा

(३) कुल बकाया - २

दरखत यो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिमाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सुद नहीं लिया जाता है।

दाता बादके पृष्ठ १७/२०१४-१६

१७/२०१४-१६

Sch. XIV.—F.No. 180 V

रसीद मालगुजारी

नाम सरकल। नाम मौजा मय

थाना यो थाना नम्बर

बि०स०मु०, पटना।

X

व०१ फरद मालका/फरद रैयती।

105

298E

नाम रैयत मय वल्लियत जमाबन्दी

यो सकुनत। नम्बर

00567933

कलापुर | लखनी सिंहा | श्रीमती सुशीला सिंह

अराजी नगदी

अराजी भावली

पति

तफसील हिसाब लगान भावली।

०१ कलापुर २०१४-२०१६ श्री कन्हैया कुमार सिंह साठ सुशीला नेज्ज रोड

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया यो हाल) मौजद माल का मय

मांग बाबत 2014-2016	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा	उरा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल- } (नकदी)	१.००					१.००
गुजारी } (भावली)	०.२५					०.२५
सेस	०.५०					०.५०
* सुद	०.५०					०.५०
मुतफरकात	०.२०					०.२०
मीजान	2.४५					2.४५

स्थान

१२१

लोड

१७५४

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत 2014-2016	सालाना	बकाया				मौजद माल हाल	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा	उरा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल- } (नकदी)	१.००					१.००	
गुजारी } (भावली)	०.२५					०.२५	
सेस	०.५०					०.५०	
* सुद	०.५०					०.५०	
मुतफरकात	०.२०					०.२०	
मीजान	2.४५					2.४५	= 2.४५

(१) मीजान कुल (लफजो मे)

(२) नाम देहिन्दा — २५२

(३) कुल बकाया — १

देहिन्दा के साथ पैदागीर पैदागीर

दरखत यो तारीख जयला तहसील कनि

* खास महल का बकाया मालगुजारी पर (सेवार) ऐसे बकायों पर जिन पर कि अतिरिक्त जयले में सुद के लिये जाता है।

कलापुर १७/१२/२०१६

१७-१२-१६

आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

राज्य.....सक
आदेश पत्रक
जिला:-पटना सन्

केश का प्रकार दा० खा० वाद सं०.....**5498 / सन् 20/5/16**

आदेश की को सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश दर की गई खरवाई के बारे में दिखानी सारीख सहित।
--------------------------	--------------------------------	--

15/4/16

श्रीमती सुशीला सिंह

पति:- **श्री कविन्द्र कुमार सिंह** ग्राम: **सुशीला नेउमनेरु बकौल**

धाना.....**बकौल** जिला **पटना** केवाला नं० **6863** दिनांक **20/06/2015**

के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल-खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

मौजा	धाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान
राखनीबिहल	41	121	1785	01 कच्चा 05 पुर 08 पुरी	1.8

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक **25/2/16** को रखें।
लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
दानापुर

अंचल अधिकारी
दानापुर

25/2/16

नोटिस का तामिल प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगो ने आवेदक के नाम दाखिल-खारिज करने की अनुशंसा किये है। फलतः उन्हें अनुशंसा के आधार पर दाखिल-खारिज की जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें।
लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
दानापुर

अंचल अधिकारी
दानापुर

Certified to be true Copy
महपा आर
5/4/16
Authorized under sec. 76 Act of 1972

दाखिल खारिज-प्रतिवेदन

मु. कोश नम्बर - 5797 साल - 2015 न 6

ग्राम - लखनीसिगहा

मु० में जमान रक्वा -

जरशामन -

हल्का नम्बर 5

राजस्व धाना नम्बर - ५१

प्राप्त का जरिया = अ.पत्र

तिथि - 23/06/2015

अंचल - दानापुर

जिला - पटना

जमाबंदी रयत का नाम	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर ३०५०
श्रीमती हिरामनी देवी - श्री ओम प्रकाश कुमार - श्री गणेश जी हरिदास - श्री श्री ओम भाना - जफनपुर <u>परना</u>	121	1785	720 बीघे 4-00		अंश दमादुर दाखल है आवदन कर साथ हुआ जमाना पर जमाने जमाबंदी रयत के काल पर हम जमाने में ही है मन्त्रिकित्व कि मन्त्री है हमारे ही बूढ़ा व युवा हैं एवं परमानु में रखे जा के इच्छा - कहेंगे मैं है
वचा हुआ रकबा					उक्त श्री ओम नरकर कुमारी जमाने पर होना दाखल की जाती की जाती है
नया जमाबंदी रयत	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान	
श्रीमती सुशीला सिंह - श्री कविन्द्र कुमार सिंह - सुषिला नेतृगयेड स्कूल गांधी - स्कूल जिला - परना	121	1785	01 अंश 05 घुर 08 घुर	1.00	

Certified true Copy
Authorised under sec. 76 Act of 1872

आदेश पत्रक
(दिले अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक
जिला-पटना सन्

केश का प्रकार दा० खा० वाद सं० 5893/सन् 2015/16

आदेश की को सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर						आदेश पर की कारवाई के मने दिखानी तारीख सहित।												
15/2/16	<p>श्री. <u>रमिन्द्र कुमार सिंह</u> <u>वल्द. स्व. सुप्रदीप सिंह</u> ग्राम <u>सुर्मे लोक गेउम नो. 5 खोरा</u> <u>थाना. खोरा</u> जिला <u>पटना</u> केवाला नं० <u>6862</u> दिनांक <u>20/06/2015</u> के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल-खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table border="1"> <tr> <td>मौजा</td> <td>थाना नं०</td> <td>खाता नं०</td> <td>खेसरा</td> <td>एरजी</td> <td>लगान</td> </tr> <tr> <td>अखनीसिगहा</td> <td>42</td> <td>121</td> <td>1785</td> <td>अच्छा 14 पुर 18 पुरही</td> <td>3.00</td> </tr> </table> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दे, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक <u>25/2/16</u> को रखें। लेखापित एवं संशोधित।</p>						मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एरजी	लगान	अखनीसिगहा	42	121	1785	अच्छा 14 पुर 18 पुरही	3.00	<p align="center">INDIA</p> <p align="center">अंचल अधिकारी दानापुर</p>
मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एरजी	लगान														
अखनीसिगहा	42	121	1785	अच्छा 14 पुर 18 पुरही	3.00														
25/2/16	<p>नोटिस का तामिल प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगो ने आवेदक के नाम दाखिल-खारिज करने की अनुशंसा किये है। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल-खारिज की जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें। लेखापित एवं संशोधित।</p>						<p align="center">अंचल अधिकारी दानापुर</p>												

Certified to be a true Copy
पुष्पाक्षर
5/2/16
 75 Act of 1872

आदेश पत्रक
(दिखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक.....तक

जिला:-पटना सन्

केश का प्रकार दा० खा० दाव सं०..... 5892/सन् 2015-16

आदेश की
क्र० सं० एवं
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर कोई गड़
कारवाई के बारे में
दिखनी तारीख
सहित।

15/2/16

श्री. रविन्द्र कुमार सिंह

वत्स बलराम सुमित्र सिंह ग्राम सुमेल रोड गेलम रोड बखौला

धाना बखौला जिला पटना केवाला नं० 6862 दिनांक 23/06/2015

के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल-खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

मौजा	धाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एरजी	लगान
मखनी बिगहा	42	121	1785	२२ कछा 14 घुर् 18 घुर्छी	3.00

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 25/2/16 को रखें।
लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
दानापुर

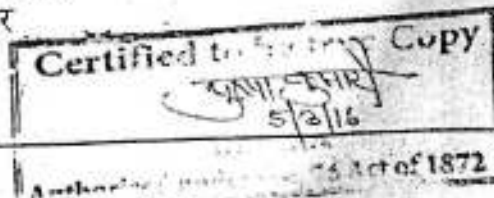
अंचल अधिकारी
दानापुर

25/2/16

नोटिस का तामिल प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगों ने आवेदक के नाम दाखिल-खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल-खारिज की जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें।
लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
दानापुर

अंचल अधिकारी
दानापुर



दाखिल खारिज-प्रतिवेदन

मु. कोश नम्बर - 5802 साल - 2015-16

हल्का नम्बर ९

अंचल - दानापुर

ग्राम - लखनीगिराह

राजस्व घाना नम्बर - ५१

जिला - पटना

मु. में लम्बीन रक्कबा -

प्राप्त का जरिया - कुष्ठपत्र

जराशमन -

केव्याला - 6862

तिथि - 29/06/2015

जमावंदी रैयत का नाम	खता	प्लॉट	रकबा	लगान	जमावंदी नम्बर
श्रीमती हीरामणी देवी पति - श्री ओम प्रकाश कुमार ब्याप - गीठापुर पीठ हरिया पेठ - पीठ पीठ ओम प्रकाश - जलपुर पटना	121	1785	72.00 बीघा	4.00	3050
यथा हुआ रकबा					
नया जमावंदी रैयत श्रीमती श्री रविन्द्र कुमार सिंह पिता - स्व. सुर्जदेव सिंह ब्याप - सुर्जदेव जेठम जेठ बख्शी प्राना - पेठ - बख्शी जिला पटना	121	1785	72.00 बीघा 14.00 18.00	3.00	

Certified to be true Copy
 Authorised
 1st of 1872

आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

दिनांक.....तक
आदेश पत्रक
जिला:-पटना सन्

केश का प्रकार दा० खा० वाद सं०..... 5438/सन् 2015-16

आदेश की क्र० सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश द्र की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।												
15/2/16	<p>श्री. मनी प्रियंका सिंह पति:- राज किशोर सिंह ग्राम-मौमहेरुकी निवास शांतम बुद्ध नगर पोखना रोड अनाइ आरा</p> <p>धाना..... नवादा..... जिला..... भोजपुर..... केवाला नं० 6864 दिनांक 29/06/15</p> <p>के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल-खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">मौजा</td> <td style="text-align: center;">धाना नं०</td> <td style="text-align: center;">खाता नं०</td> <td style="text-align: center;">खेसरा</td> <td style="text-align: center;">एराजी</td> <td style="text-align: center;">लगान</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">रक्षणीप्रियाहा</td> <td style="text-align: center;">41</td> <td style="text-align: center;">121</td> <td style="text-align: center;">1785</td> <td style="text-align: center;">0.1555 भु. 08 भु. रू. की</td> <td style="text-align: center;">1-88</td> </tr> </table> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 25/2/16 को रखें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p>	मौजा	धाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान	रक्षणीप्रियाहा	41	121	1785	0.1555 भु. 08 भु. रू. की	1-88	<p>GOVT. OF BIHAR Magistrate, First Class (S.D. Officer) PATNA. SCHE. PATNA COUNT FILE</p> <p>25/2/16</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> <p>नोटिस का तामिल प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगो ने आवेदक के नाम दाखिल-खारिज करने की अनुशंसा किये है। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल-खारिज की जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p>
मौजा	धाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान									
रक्षणीप्रियाहा	41	121	1785	0.1555 भु. 08 भु. रू. की	1-88									

Certified to be true Copy
5/3/16
Authorised under 75 Act of 1872

0921 1613067

आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

दिनांक.....तक
आदेश पत्रक
जिला:-पटना सन्

देश का प्रकार दा0 खा0 वाद सं0..... 5438/सन् 2015-16

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख	<u>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</u>					आदेश द्र की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।												
15/2/16	<p>श्री. मती प्रियंका सिंह पति:- राज किशोर सिंह ग्राम:- मोमहेरूनी निवास शांतम बुद्ध नगर पोखना रोड अनाइ आरा</p> <p>धाना..... नवादा..... जिला..... भोजपुर..... केवाला नं0 6864 दिनांक 29/06/15</p> <p>के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल-खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">मौजा</td> <td style="text-align: center;">धाना नं0</td> <td style="text-align: center;">खाता नं0</td> <td style="text-align: center;">खेसरा</td> <td style="text-align: center;">एराजी</td> <td style="text-align: center;">लगान</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">रथनीबिहा</td> <td style="text-align: center;">41</td> <td style="text-align: center;">121</td> <td style="text-align: center;">1785</td> <td style="text-align: center;">0.1555 भु. 08 भु. रू. की</td> <td style="text-align: center;">1-88</td> </tr> </table> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 25/2/16 को रखें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> </div> </div> <p>नोटिस का तामिल प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगो ने आवेदक के नाम दाखिल-खारिज करने की अनुशंसा किये है। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल-खारिज की जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> </div> </div>					मौजा	धाना नं0	खाता नं0	खेसरा	एराजी	लगान	रथनीबिहा	41	121	1785	0.1555 भु. 08 भु. रू. की	1-88	<p style="text-align: right;">GOVT. OF BIHAR Magistrate & District Judge PATNA. SCHE. PATNA COUNT FILE</p> <p style="text-align: right;">JUDICIAL 15/2/2016</p>
मौजा	धाना नं0	खाता नं0	खेसरा	एराजी	लगान													
रथनीबिहा	41	121	1785	0.1555 भु. 08 भु. रू. की	1-88													

Certified to be true Copy
 5/3/16
 Authorised under 75 Act of 1872

0921 1613067

दाखिल खारिज-प्रतिवेदन

उ. केस नम्बर - 5738 साल - 2015-16

अन - लखनी विद्यु

मु. में जमीन रकबा -

जरशामन -

केवाला - 6864

हल्का नम्बर ५

राजस्व धाना नम्बर - ५१

प्राप्त का जरिया - पुत्र-पत्नी

तिथि - 29/06/2015 =

अंचल - दानापुर

जिला - पटना

जमाबंदी रयत का नाम	खता	प्लॉट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर 2050
<p>श्रीमती हीरामनी देवी</p> <p>पति - श्री ओम प्रकाश कुमार</p> <p>ब्याप - मीठापुर खीरहरिया</p> <p>पो - जी० पी० ओ० भाना - जम्मापुर</p> <p>पटना</p>	121	1785	१२०० बी० गी० ५००		<p>श्री अण्णापुर</p> <p>कल्याण देव ओवेल - पत्नी</p> <p>पात्र दुहा जम्मापुर पत्नी</p> <p>कि देवा ने जमाबंदी ईश्वर से</p> <p>केवाला - वर समय बुझिया</p> <p>हिए हैं वरि वरि श्री ईश्वरी</p> <p>हमारे ईश्वरी गुरुन</p> <p>बैंगन से मुक्त हैं वरि</p> <p>मैथिली देवा के इला - कल्या</p> <p>में हैं।</p> <p>अनः आम गुरुन</p> <p>पर बुझिया पत्नी</p> <p>के हिए में रकबा वरि वरि</p> <p>दी जा रही हैं।</p>
बचा हुआ रकबा					
नया जमाबंदी रयत	खता	प्लॉट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर 2050
<p>श्रीमती गिल्पी सिंह</p> <p>पति - श्री वृज प्रमोद सिंह</p> <p>ब्याप - गोंमेट परी निपास गौतम</p> <p>बुद्ध नगर जोड़ना मेड अनाइ</p> <p>आम भाना - नपादा जिजा - भोजपुर</p>	121	1785	०१ कठ्ठा ०५ अंश ०८ अंश	1.००	<p>श्री अण्णापुर</p> <p>कल्याण देव ओवेल - पत्नी</p> <p>पात्र दुहा जम्मापुर पत्नी</p> <p>कि देवा ने जमाबंदी ईश्वर से</p> <p>केवाला - वर समय बुझिया</p> <p>हिए हैं वरि वरि श्री ईश्वरी</p> <p>हमारे ईश्वरी गुरुन</p> <p>बैंगन से मुक्त हैं वरि</p> <p>मैथिली देवा के इला - कल्या</p> <p>में हैं।</p> <p>अनः आम गुरुन</p> <p>पर बुझिया पत्नी</p> <p>के हिए में रकबा वरि वरि</p> <p>दी जा रही हैं।</p>